

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

## औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/167374/GKP/GORAKHPUR/3450/CF0

दिनांक: 30-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स KUSHMI ENCLAVE GROUP HOUSING LACCHIPUR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता GATA NO. 2,804,917M,918M,919M,920,921,939,940,941M, NAKAHA GORAKHNATH ROAD GORAKHPUR, GORAKHPUR तहसील - SADAR

प्लॉट एरिया 18031.90 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 38116.46 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 7 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A1	12	0	36.60 mt.
TOWER A2	12	0	36.60 mt.
TOWER B1	12	0	36.60 mt.
TOWER B2	12	0	36.60 mt.
TOWER B3	12	0	36.60 mt.
CONVENIENCE SHOP	2	0	8.10 mt.
GAME ZONE BUILDING	2	0	9.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स KUSHMI ENCLAVE GROUP HOUSING LACCHIPUR द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Residential के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स KUSHMI ENCLAVE GROUP HOUSING LACCHIPUR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

### Note : AS PER FSO GORAKHPUR REPORT

- 1-प्रस्तावित भवन के पहुँच मार्ग का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर पाया गया की भवन के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मी0 से कम है, जिसे निर्माणोपरान्त कम से कम 12 मी0 का किया जाना आवश्यक है।
- 2- प्रस्तावित भवन के टावर ए0-1/टावर ए0-2 के स्टेयर केस भूतल से ऊपर की ओर आमने-सामने दर्शायी गयी है, जिसको एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्टेयर केस रिमोट टाईप किया जाये।
- 3-एन0बी0सी0-2016 के अनुसार वांछित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाएँ निर्माण के समय से ही अधिष्ठापित की जायें।
- 4-सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
- 5-प्रस्तुत मानचित्र में उल्लेखित भवन के अतिरिक्त निर्माण अथवा किसी भी तल पर अधिभोग परिवर्तन के लिए अलग से विभागीय स्वीकृति ली जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

Note : AS PER FSO GORAKHPUR REPORT 1-प्रस्तावित भवन के पहुँच मार्ग का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर पाया गया की भवन के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मी0 से कम है, जिसे निर्माणोपरान्त कम से कम 12 मी0 का किया जाना आवश्यक है। 2- प्रस्तावित भवन के टावर ए0-1/टावर ए0-2 के स्टेयर केस भूतल से ऊपर की ओर आमने-सामने दर्शायी गयी है, जिसको एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्टेयर केस रिमोट टाईप किया जाये। 3-एन0बी0सी0-2016 के अनुसार वांछित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाएँ निर्माण के समय से ही अधिष्ठापित की जायें। 4-सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा। 5-प्रस्तुत मानचित्र में उल्लेखित भवन के अतिरिक्त निर्माण अथवा किसी भी तल पर अधिभोग परिवर्तन के लिए अलग से विभागीय स्वीकृति ली जाये।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(SANTOSH KUMAR RAI)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-08-2025  
स्थान : GORAKHPUR

[83D1545A2C132ED07DA6325B12C5E5094D437D60]

25-08-2025